टी बोर्ड भारत Tea Board India
14, बी.टी.एम सरनी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता 700 001
14, B.T.M Sarani (Brabourne Road) Kolkata 700 001
www.teaboard.gov.in

संदर्भ सं. 6(29)/एलसी/जेन/11-13/भाग-III/ वॉल्यूम 3/2017/367 दिनांक 08.03.2024

परिपत्र

विषय: नीलामी के माध्यम से 100% अवशिष्ट श्रेणी चाय की बिक्री के संबंध में

टी बोर्ड द्वारा जारी आदेश सं.363 दिनांक 08.03.2024 और सं.364 दिनांक 08.03.2024 सहित ऊपर उद्धृत विषय पर प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना सं. एस.ओ. 854(ई) दिनांक 23.02.2024 एवं एस.ओ. 855(ई) दिनांक 23.02.2024 की प्रतियां सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर रहा हूँ।

संलग्न यथोक्त

(सौरव पहाड़ी)
उपाध्यक्ष एवं पंजीकरण प्राधिकारी

वितरण:

1.	सभी चाय उत्पादक संघ	अपने सदस्यों के बीच परिसंचरण एवं सूचनार्थ
2.	सभी क्रेता संघ	
3.	सभी चाय निर्यातक संघ	
4.	सभी पंजीकृत नीलामी आयोजक	
5.	चाय नीलामीकर्ताओं का संघ (एटीए)	
6.	सभी पंजीकृत भांडागार संघ	
7.	कार्यकारी निदेशक, कुन्नूर एवं गुवाहाटी	सूचनार्थ
8.	उ.नि.चा.वि. सिलीगुड़ी	
9.	प्रणाली विश्लेषक	बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022024-252370
CG-DL-E-26022024-252370

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 814] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 26, 2024/फाल्गुन 7, 1945
No. 814] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 26, 2024/PHALGUNA 7, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2024

का.आ. 854(अ).—केन्द्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 30 की उपधारा (3) और उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम चाय (विपणन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2024 है।

(2) यह 1 अप्रैल, 2024 से प्रवृत्त होगा।

2. चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के पैरा 21 में, उप-पैरा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत चाय विनिर्माता, चाय (विपणन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2024 के प्रारंभ की तारीख से ही,—

(i) खंड (ii) में उल्लिखित चाय के सिवाय, किसी कलैंडर वर्ष में विनिर्मित कुल चाय के पचास प्रतिशत से अन्यून का ; और

(ii) अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिमी बंगाल राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित अपनी विनिर्माण करने वाली इकाइयों में किसी कलैंडर वर्ष में विनिर्मित डस्ट ग्रेड चाय के सौ प्रतिशत का,

चाय नीलामी के आयोजक, जो इस आदेश के अधीन ऐसा करने के लिए अनुज्ञप्तिप्राप्त है, के नियंत्रण के अधीन आयोजित चाय की सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से विक्रय करेगा :

परंतु यह पैरा किसी लघु चाय कारखाने को लागू नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण—इस पैरा के प्रयोजन के लिए, "चाय के डस्ट ग्रेड"के अंतर्गत भारतीय मानक आईएस 4541-1986 में डस्ट ग्रेड के रूप में सूचीबद्ध सभी ग्रेड सम्मिलित होंगे ।'।

3. उक्त आदेश के प्ररूप-ङ में, भाग 1 में, क्रम संख्यांक 10 में, खंड (vii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित खंड और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(viii) मास के दौरान विनिर्मित चाय के डस्ट ग्रेडों की मात्रा (कि.ग्रा. में)

डस्ट ग्रेड की कुल विनिर्मित चाय	पैकेट चाय, इन्सटेंट चाय, टी बैग्स, एरोमैटिक चाय, ग्रीन चाय, क्विक ब्रूइंग ब्लैक चाय और आर्गेनिक चाय का विनिर्माण करने के लिए उपयोग किए गए चाय के कुल डस्ट ग्रेडों का विनिर्माता द्वारा सीधे विपणन किया गया या सीधे निर्यात किया गया [चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 का पैरा 21(2) देखें]

[फा.सं.- के-57023/17/2023-प्लांट क]

अमरदीप सिंह भाटिया, अपर सचिव

टिप्पण:— मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 1(अ), तारीख 1 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् ,निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया, अर्थात् :—

1. का.आ. 247(अ), तारीख 28 फरवरी, 2003 ;
2. का.आ. 430(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2003 ;
3. का.आ. 270(अ), तारीख 27 फरवरी, 2004 ;
4. का.आ. 1170(अ), तारीख 20 अक्तूबर, 2004 ;
5. का.आ. 1017 (अ), तारीख 15 जुलाई, 2005 ;
6. का.आ. 1012 (अ), तारीख 15 अप्रैल, 2015 ;
7. का.आ. 2688 (अ), तारीख 1 अक्तूबर, 2015 ;
8. का.आ. 3319 (अ), तारीख 25 अक्तूबर, 2016 ;
9. का.आ. 21(अ), तारीख 3 जनवरी, 2017 ;
10. का.आ. 2288 (अ), तारीख 4 जून, 2018 ;
11. का.आ. 2560(अ), तारीख 31 जुलाई, 2020 ;
12. का.आ. 3086(अ), तारीख 30 जुलाई, 2021 ; और
13. का.आ. 5294(अ), तारीख 17 दिसंबर, 2021 ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 23rd February, 2024

S.O. 854(E).—In exercise of the power conferred by sub-sections (3) and (5) of section 30 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Tea (Marketing) Control Order, 2003, namely:—

1. (1) This order may be called the Tea (Marketing) Control (Amendment) Order, 2024.

(2) It shall come into force with effect from the 1st April, 2024.

2. In the Tea (Marketing) Control Order, 2003, (hereinafter referred to as the said Order), in paragraph 21, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

'(1) Every registered tea manufacturer shall, on and from the date of commencement of the Tea (Marketing) Control (Amendment) Order, 2024, sell-

(i) not less than fifty per cent. of total tea manufactured in a calendar year, excluding tea mentioned in clause (ii); and

(ii) one hundred per cent. of dust grades tea manufactured in a calendar year in its manufacturing units located in the geographical area of States of Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Himachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Uttarakhand and West Bengal,

through public tea auctions, held under the control of organiser of tea auction licensed to do so under this order:

Provided that this paragraph shall not apply to a Mini Tea Factory.

Explanation.—For the purpose of this paragraph, the "dust grades of tea" shall include all grades listed as dust grades in the Indian Standard IS 4541-1986'.

3. In the FORM-E of said order, in Part-I, in serial number 10, after clause (vii) and the entries relating thereto, the following clause and entries shall be inserted, namely:-

"(viii) Quantum of dust grades of tea manufactured during the month (in kgs.)

Total Dust grades of tea manufactured	**Total Dust grades of tea used for manufacturing of packet tea, instant tea, tea bags, aromatic tea, green tea, quick brewing black tea and organic tea marketed directly by the manufacturer or exported directly (refer paragraph 21(2) of the Tea (Marketing) Control Order, 2003)**

[F.No. K-57023/17/2023-PLANT A]
AMARDEEP SINGH BHATIA, Addl. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) vide S.O. 1 (E), dated the 1st January, 2003 and subsequently amended vide following notifications, namely:-

1. S.O.247 (E), dated the 28th February, 2003;
2. S.O.430 (E), dated the 10th April, 2003;
3. S.O.270 (E), dated the 27th February, 2004;
4. S.O.1170 (E), dated the 20th October, 2004;
5. S.O.1017 (E), dated the 15th July, 2005;
6. S.O.1012 (E), dated the 15th April, 2015;
7. S.O.2688 (E), dated the 1st October, 2015;
8. S.O.3319 (E), dated the 25th October, 2016;
9. S.O.21 (E), dated the 3rd January, 2017;
10. S.O. 2288(E), dated the 4th June, 2018;
11. S.O. 2560 (E), dated the 31st July, 2020;
12. S.O. 3086(E), dated the 30th July, 2021; and
13. S.O. 5294(E), dated the 17th December, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022024-252371
CG-DL-E-26022024-252371

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 815] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 26, 2024/फाल्गुन 7, 1945
No. 815] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 26, 2024/PHALGUNA 7, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2024

का.आ. 855(अ).—केन्द्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश करती है कि चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के पैरा 21 के उप-पैरा (1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 30 के अधीन उसके द्वारा, प्रतिशतता, कवरेज के भौगोलिक क्षेत्र और लागू होने की अवधि विनिर्दिष्ट करने संबंधी, प्रयोक्तव्य कोई शक्ति, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, चाय बोर्ड द्वारा भी प्रयोग की जा सकेगी।

[फा.सं. के-57023/17/2023-प्लांट क]
अमरदीप सिंह भाटिया, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 23rd February, 2024

S.O. 855(E).—In exercise of the power conferred by section 47 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby directs that any power exercisable by it under section 30 of the said Act, read with sub-paragraph (1) of paragraph 21 of the Tea (Marketing) Control Order, 2003 with regard to specifying percentages, geographical area of coverage and period of applicability may also be exercised by the Tea Board with the prior approval of the Central Government.

[F.No. K-57023/17/2023-PLANT A]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

टी बोर्ड भारत Tea Board India
14, बी.टी.एम सरनी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता 700 001
14, B.T.M Sarani (Brabourne Road) Kolkata 700 001
www.teaboard.gov.in

संदर्भ सं. 6(29)/एलसी/जेन/11-13/भाग-III/ वॉल्यूम 3/2017/363 दिनांक 08.03.2024

आदेश

विषय: 100% अवशिष्ट श्रेणी चाय की नीलामी के संबंध में।

आदेश एस.ओ. 855(ई) दिनांक 23.02.2024, द्वारा टी बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए टी बोर्ड, केंद्र सरकार के परामर्श से निर्दिष्ट करता है कि चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2023 के अनुच्छेद 21(1) में निहित प्रावधान, प्रभावी दिनांक 01.04.2024 से तीन माह की अवधि के लिए लागू होंगे।

(सौरव पहाड़ी)
अनुज्ञापन प्राधिकारी

वितरण :

1. सभी चाय उत्पादक संघ
2. सभी क्रेता संघ
3. सभी चाय निर्यातक संघ
4. सभी पंजीकृत नीलामी आयोजक
5. चाय नीलामीकर्ताओं का संघ (एटीए)
6. मेसर्स एनएसईआईटी लिमिटेड
7. मेसर्स एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड
8. मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
9. बोर्ड के सभी आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालय

टी बोर्ड भारत Tea Board India
14, बी.टी.एम सरनी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता 700 001
14, B.T.M Sarani (Brabourne Road) Kolkata 700 001
www.teaboard.gov.in

संदर्भ सं. 6(29)/एलसी/जेन/11-13/भाग-।।।/ वॉल्यूम 3/2017/364 दिनांक 08.03.2024

आदेश

विषय: 100% अवशिष्ट श्रेणी चाय की नीलामी के संबंध में।

भारत सरकार ने आदेश एस.ओ. 854(ई), दिनांक 23.02.2024 द्वारा निदेश दिया है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में प्रत्येक पंजीकृत चाय निर्माता 100% अवशिष्ट श्रेणी चाय की बिक्री, टीएमसीओ, 2003 के तहत ऐसा करने के लिए अनुज्ञापन प्राप्त चाय नीलामी के आयोजक के नियंत्रण में आयोजित सार्वजनिक चाय नीलामी के माध्यम से करेंगे।

इस क्रम में, टी बोर्ड ने आदेश सं. 363 दिनांक 8 मार्च, 2024 के माध्यम से निदेश दिया है कि उक्त आदेश 1 अप्रैल, 2024. से तीन माह की अवधि के लिए लागू होगा।

इस संबंध में, अवशिष्ट श्रेणी चाय की नीलामी की समग्र निगरानी, प्रभाव का आकलन करने और टी बोर्ड को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित संरचना के साथ एक समिति का गठन किया गया है:

1. अध्यक्ष/प्रमुख, भारतीय चाय संघ
2. श्री अजय ढंढारिया, अध्यक्ष, उत्तर पूर्वी चाय संघ
3. श्री मोहित अग्रवाल, निदेशक, भारतीय चाय निर्यातक संघ
4. श्री अजय जलान, प्रबंध निदेशक, मोकलबारी कनोई टी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड।

टी बोर्ड द्वारा समिति को सचिवीय समर्थन प्रदान किया जाएगा।

(सौरव पहाड़ी)
उपाध्यक्ष एवं पंजीकरण प्राधिकारी

वितरण :

1. समिति के सदस्य
2. सभी चाय उत्पादक संघ
3. सभी क्रेता संघ
4. सभी चाय निर्यातक संघ
5. सभी पंजीकृत नीलामी आयोजक
6. चाय नीलामीकर्ताओं का संघ (एटीए)
7. बोर्ड के सभी आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालय